एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था के लिए

साभार : इंडियन एक्सप्रेस **08 सितंबर, 2017**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

31 जुलाई को सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति की स्थापना की थी। यदि इस विधेयक के द्वारा कानून बनाया गया तो यह भारत का पहला विशेष कानून होगा जो राज्य और गैर-राज्य के खिलाड़ियों द्वारा ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा का उल्लंघन करने से उनको रोकेगा और सभी को सुरक्षा प्रदान करेगा।

श्रीकृष्ण समिति का कार्यालय ज्ञापन बताता है कि ''सरकार भारत में डेटा संरक्षण के बढ़ते महत्व को जानती है। नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता बेहद महत्वपूर्ण है।''

इसके अलावा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता के फैसले में 'मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था' तैयार करने में समिति की भूमिका पर प्रकाश डाला था। अदालत ने सम्पूर्ण डेटा संरक्षण की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार के प्रयासों को मान्यता दे भी दी है और इसलिए इस मामले को विशेषज्ञो के निर्णय पर छोड़ना उचित होगा।

सरकार ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए यह कदम उठाया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पैनल के साथ काम करेगा और अगले आठ हफ्तों में सभी आवश्यक जानकारी को सौंप देगा, जिसके बाद इस सन्दर्भ में विचार-विमर्श शुरू किये जायेंगे। समिति द्वारा जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद की जा रही है। सरकारों और एजेंसियों द्वारा हमारे आंकड़ों को संग्रह किये जाने से पहले हमें और हमारी सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेट और अधिक खतरनाक डार्कनेट को अपराधियों और असामाजिक तत्वों द्वारा गैरकानूनी व्यापार, तस्करी और मनी लॉंडरिंग और विभिन्न आतंकवादी संगठनों जैसे इस्लामी राज्य (आईएस) में भर्ती होने के लिए तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

इसके अलावा, कंपनियों के पास मौजूद डाटाबेस पर हमेशा साइबर हमलों का खतरा मंडराता रहता हैं। ऐसे परिदृश्यों की संभावनाओं ने ही नंदन नीलेकणी जैसे प्रौद्योगिकी प्रचारकों को कठोर डेटा संरक्षण कानूनों के तत्काल निर्माण के लिए प्रेरित किया है। देखा जाये तो अपने व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए ही, यूरोपीय संघ ने मई 2018 में जनरल डेटा प्रोटेक्शन विनियमन (जीडीपीआर) को लागू करने जा रहा है।

समिति के लिए प्राथमिक मार्गदर्शक कारकों में से एक यह था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह के नेतृत्व में गोपनीयता के विशेषज्ञों के एक समूह ने अक्टूबर 2012 में संपूर्ण रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे पूर्व योजना आयोग द्वारा गठित किया गया था। दोनों सरकार और अदालत ने सहमति व्यक्त की है कि यह नया डेटा प्रोटेक्शन विधेयक के रूप में गोपनीयता की सुरक्षा के लिए वैधानिक नींव होगा।

यह नया विधेयक पांच प्रमुख विशेषताओं पर आधारित होगा अर्थात तकनीकी मानदंड और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ अंतर, बहुआयामी गोपनीयता; राज्य और गैर-राज्य संस्थाओं के लिए क्षैतिज प्रयोज्यता; गोपनीयता सिद्धांतों के अनुरूप और एक सह-विनियामक प्रवर्तन शासन।

न्यायमूर्ति शाह के समूह ने अपने व्यक्तिगत आंकड़ों के संग्रह से पहले उपयोगकर्ताओं को सूचित और व्यक्तिगत सहमति लेने पर बल दिया था। यह उपयोगकर्ताओं को सूचना प्रथाओं के पहले नोटिस देने, उन्हें विकल्प के साथ प्रदान करने और उस उद्देश्य के लिए आवश्यक सीमित डेटा का संग्रह प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसके लिए इसे एकत्र किया गया है। यदि इसका उद्देश्य परिवर्तन को लाना है, तो उसे व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा नियंत्रक द्वारा आयोजित अपनी निजी जानकारी का उपयोग करने की पेशकश करता है। साथ ही इसमें उपयोगकर्ताओं को गलत सूचनाओं में सुधार, संशोधन या हटाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

इससे संबंधित तथ्य

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में गोपनीयता का अधिकार निहित मौलिक अधिकार के रूप में माना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में पढ़ा। यह लेख जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले ने कहा है कि गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक हिस्से के रूप में सुरक्षित है और भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के भाग के रूप में है।
- हालांकि इस फैसले को ऐतिहासिक रूप से सम्मानित किया जा रहा है, इसके साथ ही अन्य मामलों के लिए भी बड़े पैमाने पर निहितार्थ होंगे, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सुनाए जा रहे हैं। इसमें आधार मामले, व्हाट्सएप गोपनीयता का मामला शामिल है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। फैसले में, न्यायालय सूचना संबंधी गोपनीयता के बारे में भी बात करता है और इसका मतलब है कि प्रौद्योगिकी और डिजिटल दुनिया की उम्र में इसका क्या मतलब है।
- निर्णय पढ़ता है, सूचनात्मक गोपनीयता, गोपनीयता के अधिकार का एक पहलू है। सूचना के एक युग में गोपनीयता के खतरे ही न केवल राज्य से, बल्कि गैर-राज्य अभिनेताओं से भी पैदा हो सकते हैं। ष्इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह स्वीकार किया है कि जब गोपनीयता की बात आती है, तो राज्य ही एकमात्र संस्था नहीं है जो खतरे का खतरा है, बल्कि गैर-राज्य अभिनेता भी हो सकते हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह ऐसा कुछ है जो भारत में गोपनीयता कार्यकर्ताओं ने फेसबुक जैसे सामाजिक नेटवर्कों के उदय, और Google, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के उदय के साथ ही उजागर किया है, जो उपयोगकर्ता डेटा पर मजबूत नियंत्रण रखते हैं।
- फैसले में कहा गया है कि संविधान की व्याख्या समय पर ष्स्थिरष् नहीं हो सकती है, और तकनीकी परिवर्तनों ने नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। ष्संविधान का अर्थ जब इसे अपनाया गया था तब मौजूद दृष्टिकोणों पर स्थिर नहीं किया जा सकता। तकनीकी परिवर्तन ने उन चिंताओं को जन्म दिया है, जो सात दशकों पहले मौजूद नहीं थे और प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास वर्तमान में कई विचारों को कम कर सकते हैं।
- यह भारत सरकार से डेटा संरक्षण के लिए एक मजबूत शासन पर विचार करने और बनाने का आग्रह करता है ऐसे शासन की रचना के लिए व्यक्तिगत हितों और राज्य की वैध चिंताओं के बीच एक सावधानीपूर्वक और संवेदनशील संतुलन की आवश्यकता होती है। ष्जब भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डिजिटल गोपनीयता को बरकरार रखने की बात करता है, तब भी वह राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के विचारों को ध्यान में रख रहा है, अपराध को रोकना और जांचना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और ज्ञान का प्रसार करना और सामाजिक कल्याणकारी लाभों को समाप्त करने से रोकना। इसके अलावा, अदालत का कहना है कि जब इन मुद्दों की बात आती है, तो यह गेंद को सरकार के अदालत में डालती है। नीति को केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए, यह कहता है कि न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में पहले से ही एक समिति की जगह है, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है, जो डेटा संरक्षण व्यवस्था के मुद्दे पर विचार कर रहा है।
- सुप्रीम कोर्ट, गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता पर अनुसूचित जाति के फैसले, अनुसूचित जाति आधार फैसले, अनुसूचित जाति आधार मामले, सुप्रीम कोर्ट आधार, सर्वोच्च न्यायालय व्हाट्सएप, व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति में बदलाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है।
- हालांकि अभी इस पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन व्हाट्सएप मामले में उपयोगकर्ता गोपनीयता के मुद्दे पर भी चर्चा होती है। वर्तमान में, एक पांच न्यायाधीश संविधान पीठ इस मामले को सुन रहा है, जहां WhatsApp की गोपनीयता नीति बदल चर्चा के लिए तैयार है। 2017 में, व्हाट्सएप ने अपनी गोपनीयता नीति के लिए बदलाव की घोषणा की और कहा कि यह फेसबुक के साथ डेटा साझा करेगा, जो इसकी मूल कंपनी है। भारत में इस मामले का एक बड़ा असर होगा, क्योंकि व्हाट्सएप देश में 200 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे लोकप्रिय ऐप है।
- सरकार ने पहले ही अदालत को बताया है कि वह मामले के संबंध में डेटा संरक्षण ढांचे पर काम कर रहा है। इसके हिस्से में व्हाट्सएप का कहना है कि इसका ऐप उपयोगकर्ता की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करता है, और जब संदेश अंत-एन्क्रिप्टेड एन्क्रिप्ट किए जाते हैं, तो उन्हें प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य किसी के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता है, और इसमें फेसबुक और व्हाट्सएप शामिल हैं।
- मौजूदा फैसले पर अन्य मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की बेंच ने सुनाई नहीं है कि क्या सरकार सभी लेनदेन के लिए आधार को जोड़ने की योजना बना रही है, यह गोपनीयता का उल्लंघन है।
- नौ न्यायाधीश के फैसले सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई याचिका पर है, जिसने भारत सरकार द्वारा आधार योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक आंकड़ों के संग्रह को चुनौती दी थी, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। भारत जबकि अन्य याचिकाकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि इस तरह का अधिकार केवल अनुच्छेद 21 से नहीं बल्कि विभिन्न अन्य लेखों से भी होता है जो भारत के संविधान के भाग-III के तहत गारंटीकृत मूलभूत अधिकारों की पूर्ति करता है। याचिका पहली बार 2012 में दर्ज की गई थी।

संभावित प्रश्न

''अधिकार के रूप में गोपनीयता का मूल्य एक मजबूत डेटा संरक्षण कानूनों के बिना थोड़ा कम हो जाएगा। इसमें सुधार करने के उद्देश्य से सरकार एक नए विधेयक के द्वारा ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना चाहती है।'' इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322